

अनुसूची “छ”

(देखें नियम 30)

लोकायुक्त, झारखंड, राँची के कार्यालय में अधिनियम की धारा-11(1)के अधीन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन ।

परिवाद संख्या वर्षचूंकि झारखंड के लोकायुक्त के समक्ष(परिवादी का नाम और पता) ने(लोक सेवक का नाम और पदनाम) के विरुद्ध परिवाद(शिकायत) किया है जिसमें परिवेदना (ग्रीवांस) अन्तर्विष्ट..... के संबंध में अभिकथन किया गया है और लोकायुक्त जांच को यह वांछनीय प्रतीत हुआ कि अनुसंधान के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दस्तावेज तारीख तक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए:-

- (1)
- (2)
- (3)

इसलिए इसके द्वारा आपको सम्मन किया जाता है कि आप तारीखको 11.00 बजे पूर्वाह्न में उनके समक्ष हाजिर हों और उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करें या अपने सेवक, लिपिक या एजेंट के माफत पेश करायें। इसमें असफल न हो।

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर के साथ दिया गया।

तारीख.....

सचिव/उप सचिव
लोकायुक्त का कार्यालय,
झारखंड, राँची।